कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1847 /13– चर्च दिनांक 21/11/2019

सेवा में,

डायरेक्टर जनरल,
ऑफ दि रोमन कैथौलिक डायोसीस
निर्मला सदन सोसाइटी निर्मला कान्वैन्ट काठगोदाम
नैनीताल।

विषय :– **जनपद–नैनीताल के अर्न्तगत 0.9921 है0 वन भूमि** डायरेक्टर जनरल,ऑफ दि रोमन कैथौलिक डायोसीस के चर्च प्रीस्ट हाउस, स्कूल टीचर्स एण्ड सर्वेट क्वाटर के 30 वर्षो के लिय लीज पर दिय जाने हेतु नवीनीकरण ।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/09/300/2015/एफ0सी0/1705 दिनांक 25.10.2019. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड़ देहरादून की पत्र सं0 1223 /FP/UK/Other/9704/2015 देहरादून, दिनांक 8.11..2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 1 के अनुपालन में 2000 वृक्षो के वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 **2000** X 1210-00= 24,20,000.00 (रू0 चौवीस लाख बीस हजारः) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3–5–2 दिनॉक 21–11–2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं ।

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 0.9921 है0 X 8,45,000= 8,38,325. 00(रू0 आठ लाख अडतीस हजार तीन सौ पच्चीस)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वाान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4– शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5– शर्त न0 4 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost,NPVctc.) **को वेब पोर्टल** पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाय, अन्य माध्यमें से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी ।

6– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclcarance.nic.in **पर** Online अपने user account **में जाकर** stage ll clearance में पहले mutatation **की** detail **भरकर एंव समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या** Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड काफी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।